रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230646
SG-DL-E-23102021-230646

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2021/आश्विन 29, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 224
No. 310]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ASVINA 29, 1943	[N. C. T. D. No. 224

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली 21 अक्तूबर, 2021

फा.सं.आईपीयू/जेआर(सी)/2015/2–16/कार्मिक.4767.—गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 9) की धारा 26 की उप–धारा 2 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल ने 23/02/2015 को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में कार्यसूची मद सं0 बी0 एम0 60•13 हेतु संकल्प द्वारा संविधि 31 (विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापन कर्मियों की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के नियम और शर्ते) एवं 32 (विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त गैरा–अध्यापन कर्मियों की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के नियम एवं शर्ते) में आंशिक संशोधन को, स्वीकृति दे दी है । गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 9) की धारा 26 की उप धारा 3 के अन्तर्गत इन संशोधनों को, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की दिनांकित 01.09.2021 की अनुमति के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अधिसूचना को अधिसूचित किया जाता है ।

विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
संविधि 31	**संविधि 31**
17• अधिवर्षिता लाभ	**17• अधिवर्षिता लाभ**
17•1 प्रवेश के समय विद्यावाचस्पति (पीएच0डी0) डिग्री अर्जित	17•1 प्रवेश के समय विद्यावाचस्पति (पीएच0डी0) डिग्री अर्जित

किये हुए शिक्षकों को, सेवा में अधिकतम 3 वर्षो को लाभ प्रदान किया जायेगा ।	किये हुए शिक्षकों को, सेवा में अधिकतम 3 वर्षो को लाभ प्रदान किया जायेगा ।
17•2 अधिवर्षता लाभों के संबंध में अन्य शर्तें कर्मचारियों के लिये वैसी ही स्वीकार्य होंगी, जैसी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्य निधि–व–उपदान योजना से संबंधित अध्यादेश के अन्तर्गत स्वीकार्य होंगी ।	17•2 अधिवर्षता लाभों के संबंध में अन्य शर्तें कर्मचारियों के लिये वैसी ही स्वीकार्य होंगी, जैसी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये अंशदायी/ सामान्य भविष्य निधि–व–उपदान योजना से संबंधित अध्यादेश के अन्तर्गत स्वीकार्य होंगी ।
27•1 विश्वविद्यालय के शिक्षक उस अंशदायी भविष्य निधि–व–उपदान योजना के अन्तर्गत संरक्षित होंगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत होगी । 27•2 वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन वे विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत अंशदायी भविष्य निधि व उपदान अध्यादेश के अनुसार अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के हकदार होंगे । 27•3 ऐसे शिक्षकों को, जो विश्वविद्यालय में नियुक्ति के समय से ही सामान्य भविष्य निधि में अंशदान कर रहे हैं, अध्यादेश में निर्धारितानुसार विश्वविद्यालय की अंशदायी भविष्य निधि योजना का विकल्प देना ही होगा । वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन वे ऐसे सभी अन्य लाभों के पात्र होंगे जो कर्मचारियों के ऐसे वर्गों के लिये स्वीकार्य होंगे ।	27•0 विश्वविद्यालय के शिक्षक उस अंशदायी भविष्य निधि–व–उपदान योजना के अंतर्गत संरक्षित होंगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत होगी । तथापि, ऐसे शिक्षक जो दिनांक 01/01/2004 से पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त किये गये थे, वे अध्यादेश में निर्धारित विश्वविद्यालय की पेंशन–व–सामान्य भविष्य निधि योजना का विकल्प दे सकते हैं ।
संविधि 32 20• अनिवार्य कटौतियाँ 20•1 किसी भी कर्मचारी के वेतन से, निम्न अवस्थाओं के अतिरिक्त, कोई भी कटौती नहीं की जायेगी : (i) यदि, कोई कर्मचारी विधिवत् रूप से स्थापित अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करता है तो उसके वेतन से प्रतिमास निर्धारित दर पर अंशदान की कटौती कर ली जायेगी । (ii) यदि, कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मकान अथवा आवासीय स्थल का अधिभोग रखता है, तो उस मकान अथवा अन्य आवासीय स्थल का लाइसैंस शुल्क प्रतिमास उसके वेतन से काट लिया जायेगा, लेकिन यदि कर्मचारी द्वारा मकान अथवा आवासीय स्थल का अधिभोग, उसके अनुबंध (नियुक्ति) की किसी शर्त का भाग है तो लाइसेंस शुल्क की राशि, यदि कोई देय बनती है तो, वह राशि अनुबंध के अनुसार ही होगी । (iii) यदि कोई कर्मचारी, अंश0भ0निधि, भवन निर्माण, वाहन आदि से जुड़ी अग्रिम राशि की वापिसी तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मकान के बिजली और जल से संबंधित प्रभार की कटौती के लिये सहमत होता है तो ऐसी कटौतियाँ तदनुसार की जाएँगी अथवा जहाँ इस प्रकार की कटौतियाँ, किसी भी कानून के अंतर्गत अथवा न्यायालय के किसी भी आदेश के	**संविधि 32** 20• अनिवार्य कटौतियाँ 20•1 किसी भी कर्मचारी के वेतन से, निम्न अवस्थाओं के अतिरिक्त, कोई भी कटौती नहीं की जायेगी : (i) यदि, कोई कर्मचारी विधिवत् रूप से स्थापित अंशदायी/ समान्य भविष्य निधि में अंशदान करता है तो उसके वेतन से प्रतिमास निर्धारित दर पर अंशदान की कटौती कर ली जायेगी । (ii) यदि, कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मकान अथवा आवासीय स्थल का अधिभोग रखता है, तो उस मकान अथवा अन्य आवासीय स्थल का लाइसैंस शुल्क प्रतिमास उसके वेतन से काट लिया जायेगा, लेकिन यदि कर्मचारी द्वारा मकान अथवा आवासीय स्थल का अधिभोग, उसके अनुबंध (नियुक्ति) की किसी शर्त का भाग है तो लाइसेंस शुल्क की राशि, यदि कोई देय बनती है तो, वह राशि अनुबंध के अनुसार ही होगी । (iii) यदि कोई कर्मचारी, अंश0भ0निधि, /सामान्य भविष्य निधि, भवन निर्माण, वाहन आदि से जुड़ी अग्रिम राशि की वापिसी तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मकान के बिजली और जल से संबंधित प्रभार की कटौती के लिये सहमत होता है तो ऐसी कटौतियाँ तदनुसार की जाएँगी अथवा जहाँ इस प्रकार की कटौतियाँ, किसी भी कानून के अंतर्गत अथवा न्यायालय के किसी भी आदेश के अनुसार की जानी हैं तो ऐसी

अनुसार की जानी हैं तो ऐसी कटौतियाँ भी की जाएँगी ।	कटौतियाँ भी की जाएँगी ।
29• सामा0भवि0निधि एवं उपदान/पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अध्यादेश में अधिसूचित अंशदायी–व–उपदान योजना के अन्तर्गत समाहित होंगे । ऐसे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय में नियुक्ति के समय से ही अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान कर रहे हैं, उन्हें अंश0भवि0निधि से संबंधित अध्यादेश में **निर्धारितानतुसार** विश्वद्यािलय की अंशदायी भविष्य निधि योजना में अंशदान जारी रखने का विकल्प देना होगा । कर्मचारी पेंशन पाने के पात्र नहीं होंगे परंतु वे इस योजना में निर्धारित अन्य दूसरे लाभों के हकदार होंगे ।	**29• सामा0भवि0निधि एवं उपदान/पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ** विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अध्यादेश में अधिसूचित अंशदायी–व–उपदान योजना के अन्तर्गत समाहित होंगे । तथापि, ऐसे कर्मचारी जो 01/01/2004 से पहले स्थायी आधार पर नियुक्त हुए थे, वे अध्यादेश में **अधिसूचितानुसार** विश्वविद्यालय की पेंशन–व–सामान्य भविष्य निधि योजना का विकल्प दे सकेंगे ।

आदेशानुसार,

सुशील कुमार, कुल सचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 21st October, 2021

F.No.IPU/JR(C)/2015/2-16/PERS.4767.—In pursuance of provisions of sub-section (2) of Section 26 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of Guru Gobind Singh Indraprastha University hereby makes partial amendments to Statutes 31 relating to “MANNER OF APPOINTMENT, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHING EMPLOYEES APPOINTED BY THE UNIVERSITY” and 32 relating to “MANNER OF APPOINTMENT, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF NON-TEACHING EMPLOYEES APPOINTED BY THE UNIVERSITY” vide resolution to agenda item no. BM60.13 in its 60th meeting held on 23.02.2015. Consequent to the assent of the Chancellor of the University dated 01.09.2021 to these amendments under sub-section (3) of Section 26 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the same are notified hereby as under:-

Existing Clauses	Amended Clauses
Statute 31 17. Superannuation Benefits 17.1 The benefit in service, up to a maximum of 3 years, shall be provided to the teachers who have acquired Ph.D. degree at the time of entry. 17.2 Other conditions with respect to superannuation benefits shall be as admissible to the employees of the University under the ordinance relating to Contributory Provident Fund-cum- Gratuity scheme. 27.1 The teachers of the University will be covered under Contributory Provident Fund-cum-Gratuity scheme as adopted by the University. 27.2 They will not be entitled to pension but they will be entitled to other retirement benefits, according to Contributory Provident Fund-cum-Gratuity ordinance as adopted by the University. 27.3 Teachers who already contribute to the G.P.F. at the time of joining the University will have to opt to the	**Statute 31** 17. Superannuation Benefits 17.1 The benefit in service, up to a maximum of 3 years, shall be provided to the teachers who have acquired Ph.D. degree at the time of entry. 17.2 Other conditions with respect to superannuation benefits shall be as admissible to the employees of the University under the ordinance relating to Contributory / General Provident Fund-cum- Gratuity scheme. 27.0 The Teachers of the University will be covered under Contributory Provident Fund-cum-Gratuity scheme as adopted by the University. However, the Teachers, who were appointed on regular basis prior to 01.01.2004 may opt Pension-cum General Provident Fund Scheme of the University as laid down in the Ordinance.

Contributory Provident Fund scheme of the University as laid down in the Ordinance. They will not be entitled to pension, but they will be entitled to such other benefits as are admissible to such category of employees.	
Statute 32 20. **Compulsory Deductions** 20.1 No deduction of any kind shall be made from the salary of an employee except : (i) Where an employee contributes to a duly established Contributory Provident Fund, the Contribution at prescribed rate shall be deducted from his salary each month. (ii) Where an employee occupies a house or other dwelling accommodation provided by the University, the amount of the license fee of that house or other dwelling accommodation shall be deducted from his salary each month, but where the employee is required to occupy the house or other dwelling accommodation as part of the term of his engagement, amount of license fee, if any payable shall be such as per the agreement. (iii) Where an employee agrees for certain deductions like refund of advance from C.P.F., House Building, Conveyance etc., Electricity and Water Charges in respect of a house provided by the University, deductions shall accordingly be made or where any deductions are required to be made under any law or by an order of the court, such deductions shall also be made. **29. CPF and Gratuity/ Pension and other Retirement Benefits** The employees of the University will be covered under the scheme Contributory-cum-Gratuity scheme notified in the ordinance. The employees who already contribute to Contributory Provident Fund at the time of joining the University, will have to opt to continue in the Contributory Provident Fund scheme of the University as laid down in the ordinance relating to C.P.F. scheme. Employees shall not be entitled to pension but they will be entitled to such other benefits as are laid down in the scheme.	**Statute 32** 20. **Compulsory Deductions** 20.1 No deduction of any kind shall be made from the salary of an employee except : (i) Where an employee contributes to a duly established Contributory / General Provident Fund, the Contribution at prescribed rate shall be deducted from his salary each month. (ii) Where an employee occupies a house or other dwelling accommodation provided by the University, the amount of the license fee of that house or other dwelling accommodation shall be deducted from his salary each month, but where the employee is required to occupy the house or other dwelling accommodation as part of the term of his engagement, amount of license fee, if any payable shall be such as per the agreement. (iii) Where an employee agrees for certain deductions like refund of advance from C.P.F./G.P.F., House Building, Convey-ance etc., Electricity and Water Charges in respect of a house provided by the University, deductions shall accordingly be made or where any deductions are required to be made under any law or by an order of the court, such deductions shall also be made. **29. CPF and Gratuity/ Pension and other Retirement Benefits** The employees of the University will be covered under the scheme Contributory-cum-Gratuity scheme notified in the ordinance. However, the employees, who were appointed on regular basis prior to 01.01.2004 may opt Pension-cum General Provident Fund Scheme of the University as laid down in the Ordinance.

By Order,

SUSHIL KUMAR, Registrar

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.23 11:41:51 +05'30'